



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 433]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2006/भाद्र 23, 1928

No. 433]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2006/BHADRA 23, 1928

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग (अपील के लिए प्रक्रिया) नियम, 2006

सा.का.नि. 553 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खण्ड (कक) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग (अपील के लिए प्रक्रिया) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं -- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

(क) “अधिनियम” से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) अभिप्रेत है ;

(ख) “अपील” से अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (1) या धारा 12 ख के अधीन आयोग को की गई कोई अपील अभिप्रेत है ;

(ग) “अपीलार्थी” से अधिनियम की धारा 12क(1) या धारा 12ख की उपधारा (1) के अधीन आयोग को कोई अपील करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(घ) “अध्यक्ष” से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है :

(ब) “सक्षम प्राधिकारी” से अल्पसंख्यकों द्वारा उन्हें अपनी धसंद की कोई शिक्षा संस्था स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र मंजूर करने हेतु या किसी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था को अल्पसंख्यक प्रास्थिति प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए समुचित सरकार द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) “प्ररूप” से इन नियमों से उपाबद्ध कोई प्ररूप अभिप्रेत है ;

(छ) “प्लीडर” का वही अर्थ है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) की धारा 2 के खंड 15 में उरसका है ;

(ज) “सचिव” से आयोग का सचिव अभिप्रेत है ;

(झ) इसमें प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए शब्दों और पदों के वही अर्थ है, जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ;

3. आयोग की भाषा -- (1) आयोग की कार्यवाहियां अंग्रेजी या हिंदी में संचालित की जाएंगी ।

(2) आयोग द्वारा कोई अपील, प्रतिनिर्देश, आवेदन, अभ्यावेदन, दस्तावेज, अन्य विषय जब तक ग्राह्य नहीं होंगे जब तक उसके साथ उसके अंग्रेजी या हिंदी में अनुवाद की सत्यापित प्रति न लगी हो ।

(4) अपील फाइल करने के लिए प्रक्रिया -- (1) अपील का ज्ञापन अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से या ऐसे प्रयोजन के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत प्लीडर द्वारा इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में सचिव को पेश किया जाएगा या सचिव को संबंधित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन डाक द्वारा भेजी गई कोई अपील सचिव को उस तारीख को जिसको यह सचिव के कार्यालय में प्राप्त होती है, पेश की गई समझी जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अपील का ज्ञापन एक पेपर बुक प्ररूप में खाली फाइल के आकार के लिफाफे सहित प्रत्यर्थी का पूरा पता होगा और जहां प्रत्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है, वहाँ अपील का पेपर बुक प्ररूप में उतनी प्रक्रिया जितने प्रत्यर्थी हैं, अनुपयुक्त फाइल के आकार के लिफाफे सहित जिन पर अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रत्यर्थी का पूरा पता दिया जाएगा, चार सौटों में पेश किया जाएगा ।

5. अपील के ज्ञापन का पेश किया जाना तथा उसकी समीक्षा -- (1) सचिव, अपील के प्रत्येक ज्ञापन पर उस तारीख को पृष्ठांकित करेगा जिसको यह नियम 4 के अधीन पेश किया जाता है, या उस नियम के अधीन पेश किया गया समझा जाता है और वह पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा ।

(2) यदि, समीक्षा पर अपील का ज्ञापन क्रम में पाया जाता है तो इसे अपील पुस्तिका में सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा तथा ऐसी पुस्तिका को अपील का रजिस्टर कहा जाएगा ।

(3) यदि समीक्षा पर अपील का ज्ञापन त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और पाई गई त्रुटि सामान्य प्रकृति की है, तो सचिव अपीलार्थी को ऐसी त्रुटि में सुधार करने के लिए ऐसा समय अनुज्ञात कर सकेगा जो उपयुक्त समझे।

(4) यदि अपीलार्थी, उप नियम (4) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर त्रुटि का सुधार करने में असफल रहता है तो सचिव आदेश द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील के ऐसे ज्ञापन को रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगा और अपीलार्थी को तदनुसार सूचित करेगा।

(5) उपधारा (5) के अधीन सचिव के आदेश के विरुद्ध कोई अपील ऐसा आदेश करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अध्यक्ष को की जाएगी जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

6. अपील के ज्ञापन की अंतर्वस्तु -- नियम 4 के अधीन फाइल किया गया अपील का प्रत्येक ज्ञापन संक्षिप्त रूप से और सुभिन्न शीर्षों के अधीन, ऐसी अपील के आधार किसी तर्क या वर्णन के बिना उपवर्णित होगा और ऐसे आधारों को आनुक्रमिक रूप से संख्याकित किया जाएगा। प्रत्येक अपील को अच्छी क्वालिटी के कागज पर एक ओर दोहरे अंतर से टाइप किया जाएगा।

7. अपील के ज्ञापन के साथ लगाने वाले दस्तावेज -- अपील का प्रत्येक ज्ञापन चार प्रतियों में होगा और उसके साथ आदेश की चार प्रतियां किसी नोटरी या प्लीडर द्वारा सत्यापित अपील के अधीन होगा।

8. अपील के ज्ञापन का नामंजूर किया जाना या संशोधन -- (1) जहां, अपील का ज्ञापन ऊपर विहित रीति में प्रस्तुत किया जाता है, वहां इसे नामंजूर किया जा सकेगा या आयोग द्वारा नियत किसी समय के भीतर संशोधित किए जाने के प्रयोजनों के लिए लौटा दिया जाएगा।

(2) जहां आयोग किसी ज्ञापन को नामंजूर करता है, वहां उसे ऐसे नामंजूर करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(3) जहां अपील का कोई ज्ञापन संशोधित किया जाता है, वहां अध्यक्ष या ऐसा अधिकारी जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, संशोधन पर हस्ताक्षर या आदक्षर करेगा।

9. विलंब को माफ करने के लिए आवेदन -- जहां कोई अपील, उसके लिए विनिर्दिष्ट परिसीमा की अवधि के अवसान के पश्चात् फाइल की जाती है, वहां उसके साथ उन तथ्यों पर जिन पर अभ्यर्थी आयोग का समाधान

करने के लिए आश्रित है, कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था, उपरोक्त करते हुए उसके समर्थन में एक शपथपत्र लगा होगा।

(2) यदि आयोग आवेदन के नामंजूर करने का कोई कारण नहीं पाता है तो उसकी एक सूचना प्रत्यर्था को जारी की जाएगी तथा विषय पर नियम 10 के अधीन अपील का निपटान करने के लिए अग्रसर होने से पूर्व आयोग द्वारा अंतिम रूप से विनिश्चय किया जाएगा।

10. प्राधिकारी, जिसके आदेश के अधीन सूचना भेजे बिना अपील की जाती है, अपील को खारिज करने की शक्ति -- (1) आयोग, अपीलार्थी की या उसके प्लीडर की सुनवाई करने के लिए कोई दिन नियत करने के पश्चात् और तदनुसार उसकी सुनवाई के पश्चात् यदि उसे उस दिन ऐसा प्रतीत होता है, तो वह अपील को खारिज कर सकेगा।

(2) यदि नियत दिन को या किसी अन्य दिन को जिसको सुनवाई आरथगत की जा सकेगी, अपीलार्थी उपस्थित नहीं होता है, जब अपील को सुनवाई के लिए पुकारा जाता है तो आयोग ऐसा आदेश कर सकेगा कि अपील को खारिज किया जाता है।

(3) जहां, आयोग उपधारा (1) के अधीन किसी अपील को खारिज करता है, वहां वह ऐसा करने के आधारों का संक्षिप्त विवरण लेखबद्ध करते हुए आदेश का परिधान करेगा।

11. वह समय जिसके भीतर नियम 10 के अधीन सुनवाई पूरी होनी चाहिए -- प्रत्येक अपील की नियम 10 के अधीन यथासंभव शीघ्रता से सुनवाई होगी और ऐसी सुनवाई को उस तारीख से जिसको अपील का ज्ञापन फाइल किया जाता है, 60 दिनों के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

12. अपील की सुनवाई का दिन -- आयोग, नियम 10 के अधीन अपील को खारिज नहीं करता है, जब तक वह अपील की सुनवाई की तारीख नियत करेगा ऐसा दिन आयोग के चालू कारबार के प्रतिनिर्देश से नियत किया जाएगा।

13. अपील की सुनवाई के दिन की सूचना का प्रकाशन और उसकी तामील -- (1) नियम 12 के अधीन नियत किए गए दिन की सूचना आयोग के कार्यालय में लगाई जाएगी और उसी प्रकार की सूचना आयोग द्वारा उस सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाएगी जिसके आदेश पर अपील की जाती है और उसकी प्रत्यर्था या प्लीडर पर तामील की जाएगी तथा सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित उसकी तामील के प्रतिनिर्देश से ऐसे समनों और कार्यवाहियों को लागू सभी उपबंध ऐसी सूचना की तामील को लागू होंगी।

(2) ऐसे सक्षम प्राधिकारी को सूचना भेजने के स्थान पर, जिसके आदेश से अपील की जाती है, आयोग स्वयं प्रत्यर्था या उसके प्लीडर पर उपर निर्दिष्ट उपबंधों के अधीन सूचना की तामील कराएगा।

- (3) प्रत्यर्थी पर तामील की जाने वाली सूचना के साथ अपील के ज्ञापन की एक प्रति लगाई जाएगी ।
- (4) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, आयोग में प्रथम बार अभिवचन करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी प्रत्यर्थी पर किसी अपील से आनुषंगिक किसी कार्यवाही की सूचना की तामील तब तक आवश्यक नहीं होगी जब तक वह अपील में उपस्थित न हुआ हो और सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में सूचना की तामील के लिए कोई पता कार्यालय में फाइल न कर दिया हो ।
- (5) उप नियम (4) की कोई बात अपील में निर्दिष्ट प्रत्यर्थी को अपनी प्रतिरक्षा करने से वर्जित नहीं करेगा ।

14. आरंभ करने का अधिकार - नियत दिन को या किसी अन्य दिन को जिसको सुनवाई आस्थगित की जा सकेगी, अपीलार्थी की अपील के समर्थन में सुनवाई की जाएगी

(2) आयोग, यदि अपील को तुरंत खारिज नहीं करता है तो प्रत्यर्थी की अपील के विरुद्ध सुनवाई करेगा और ऐसे मामले में अपीलार्थी उत्तर देने का हकदार होगा ।

15. अपीलार्थी के व्यतिक्रम के लिए अपील का खारिज किया जाना - (1) जहां नियत दिन या किसी अन्य दिन को जिसको सुनवाई आस्थगित की जा सकेगी, अपीलार्थी उपस्थित नहीं होता है । जब आयोग अपील की सुनवाई करता है, तब आयोग कोई आदेश कर सकेगा कि अपील को खारिज किया जाए ।

स्पष्टीकरण - इस उपनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि आयोग गुणागुण के आधार पर अपील को खारिज करने के लिए सशक्त है ।

(2) एक पक्षीय रूप से अपील की सुनवाई - जहां सुनवाई के लिए नियत दिन को या किसी अन्य दिन को जिसको सुनवाई आस्थगित की जा सकेगी अपीलार्थी उपस्थित होता है और प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं होता है, वहां अपील की एक पक्षीय रूप से सुनवाई की जाएगी ।

16. व्यतिक्रम के लिए खारिज की गई किसी अपील को पुनःग्रहण करना - जहां, कोई अपील नियम 15 के अधीन खारिज की जाती है, वहां अपीलार्थी अपील को पुनःग्रहण करने के लिए आयोग को आवेदन कर सकेगा और जहां यह साबित हो जाता है कि वह उपस्थित होने से किसी पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित था । जब अपील को सुनवाई के लिए पुकारा गया था वहां आयोग अपील को ऐसे निबंधनों पर या लागत पर या अन्यथा, जैसा वह उपयुक्त समझे पुनःग्रहण करेगा ।

17. सुनवाई को आस्थगित करना और प्रत्यर्थी बनने के लिए हितबद्ध व्यक्तियों को उपस्थित होने के लिए निदेश देने की शक्ति - जहां सुनवाई पर आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति ऐसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों में कोई पक्षकार था, जिसके आदेश से अपील की जाती है, किंतु अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है, अपील के परिणामस्वरूप हितबद्ध है, वहां आयोग सुनवाई को आयोग द्वारा नियत किसी आगामी दिन को आस्थगित कर सकेगा और यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को प्रत्यर्थी बनाया जाए ।

(2) किसी प्रत्यर्थी को अपील के लिए परिसीमा की अवधि के पश्चात् इस नियम के अधीन तब तक नहीं जोड़ा जाएगा जब तक आयोग लेखबद्ध करने वाले कारणों से यह अनुज्ञात नहीं करता है कि ऐसे निबंधनों पर या ऐसी लागत पर जिसे वह उपयुक्त समझे ऐसा किया जाए ।

18. प्रत्यर्थी के आवेदन पर अपील की पुनःसुनवाई करना -- जहां अपील की एक पक्षीय रूप से सुनवाई की जाती है और प्रत्यर्थी के विरुद्ध आदेश सुनाया जाता है, वहां वह आयोग को अपील की पुनः सुनवाई के लिए आवेदन कर सकेगा ; और यदि वह आयोग का यह समाधान कर देता है कि सूचना की सम्यक् रूप से तामील नहीं की गई थी या यह कि कोई उपस्थित होने से, जब अपील को सुनवाई के लिए मंगाया गया था, पर्याप्त हेतुक रूप से निवारित किया गया था, वहां आयोग ऐसी लागत के संबंध में या अन्यथा जो वह उस पर अधिरोपित करना उपयुक्त समझे, ऐसे निबंधनों पर अपील की सुनवाई करेगा ।

19. प्रत्यर्थी की सुनवाई पर, आदेश पर इस प्रकार आक्षेप किया जा सकेगा मानो उसने कोई पृथक अपील की है -- (1) कोई प्रत्यर्थी, भले ही उसने आदेश के किसी भाग पर अपील न की हो, आदेश का केवल समर्थन कर सकेगा, किंतु यह भी कथन करेगा कि किसी विवादक के संबंध जो उसके पक्ष में होना चाहिए था सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके विरुद्ध निष्कर्ष है ; और उस आदेश पर कोई प्रत्याक्षेप भी ले सकेगा जो अपील के रूप में लिया गया होता, परंतु यह तब जब कि उसने आयोग में ऐसे आक्षेप उस पर या उसके फ्लिडर पर तामील की तारीख से एक मास के भीतर अपील की सुनवाई के लिए नियत तारीख की सूचना या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग इस प्रकार अनुज्ञात करना उचित समझे, फाइल किया है ।

स्पष्टीकरण -- ऐसे आदेश में जिस पर अपील का आदेश आधारित है, सक्षम प्राधिकारी के किसी निष्कर्ष द्वारा व्यथित कोई प्रत्यर्थी, इस नियम के अधीन उस आदेश के संबंध में, जहां तक वह उस निष्कर्ष पर आधारित है, प्रत्याक्षेप फाइल कर सकेगा ;

(2) ऐसा प्रत्याक्षेप किसी ज्ञापन के प्ररूप में होगा और नियम 6 के उपबंध जहां तक वे अपील के ज्ञापन के रूप और अंतर्वस्तु से संबंधित है, उसको लागू होंगे ;

(3) जहां किसी दशा में, किसी प्रत्यर्थी ने इस नियम के अधीन आक्षेप का कोई ज्ञापन फाइल किया है, मूल अपील वापस ली जाती है या व्यतिक्रम के लिए खारिज की जाती है, वहां इस प्रकार फाइल किए गए आक्षेप की फिर भी सुनवाई की जा सकेगी और अन्य पक्षकारों को ऐसी सूचना के पश्चात् जो आयोग उपयुक्त समझे अधिरोपित किया जा सकेगा ।

20. जहां अभिलेख में साक्ष्य पर्याप्त है, वहां आयोग मामले का अंतिम रूप से अवधारण कर सकेगा - जहां अभिलेख पर साक्ष्य अपील का विनिश्चय करने के लिए पर्याप्त है, वहां वह अंतिम रूप से विनिश्चय कर सकेगा ।

21. अपील में अतिरिक्त साक्ष्य का पेश किया जाना -- (1) अपील का पक्षकार, अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए या तो मौखिक रूप से या दस्तावेजी रूप से आयोग में पेश करने के लिए हकदार होंगे। किंतु यदि --

- (क) सक्षम प्राधिकारी, जिसके आदेश से अपील की जाती है, किसी ऐसे साक्ष्य को ग्राह्य करने से इंकार किया जाता है जिसे ग्राह्य किया जाना चाहिए, या
- (ख) अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए ईप्सित पक्षकार यह स्थापित करता है कि सम्यक् सावधानी बरतने पर भी, ऐसा साक्ष्य उसके ज्ञान में नहीं था या सम्यक् सावधानी बरतने के पश्चात् उसके द्वारा उस समय पर जब वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जाती है, पारित किया गया था प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, या
- (ग) आयोग, किसी दस्तावेज को पेश किए जाने की अपेक्षा करता है या परीक्षा किए जाने के लिए किसी साक्षी की अपेक्षा करता है, तो वह आदेश सुनाने या किसी अन्य सारवान कारण के लिए समर्थ होगा।

तो आयोग ऐसे साक्ष्य या दस्तावेज को प्रस्तुत किए जाने या साक्षी की परीक्षा किए जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जब कभी अतिरिक्त साक्ष्य को आयोग द्वारा पेश किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है, आयोग उसको स्वीकार करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा।

22. अतिरिक्त साक्ष्य लेने का ढंग -- आयोग के समक्ष ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकेंगे या ऐसी परीक्षा की जा सकेगी या ऐसा साक्ष्य पेश किया जा सकेगा।

23. आदेश जब और जहां सुनाया जाएगा -- आयोग, पक्षकारों और उनके प्लीडरों की सुनवाई करने के पश्चात् और कार्यावाहियों के किसी भाग को निर्दिष्ट करते हुए, क्या अपील पर या सक्षम प्राधिकारी में, जिसके आदेश से अपील की जाती है, जिसका आदेश आवश्यक समझा जा सकेगा, या तुरंत या उस दिन के अगले दिन जिसको पक्षकारों या उनके प्लीडरों को सूचना दी जाएगी, आदेश सुनाएगा।

24. असहमति को लेखबद्ध किया जाना -- आयोग के आदेश से असहमति रखने वाला आयोग का कोई सदस्य लिखित में विनिश्चय या आदेश का कथन करेगा जिसके बारे में वह यह समझता है कि अपील पारित की जानी चाहिए और वह उसके लिए अपने कारणों का कथन कर सकेगा।

25. सुनवाई का आस्थगन - आयोग, यदि कार्यवाहियों के किसी प्रकम पर पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाते हैं पक्षकारों को या इनमें से किसी को समय अनुदत्त कर सकेगा और अपील की सुनवाई को आस्थगित कर सकेगा।

26. आदेश को तारीख सहित हस्ताक्षरित किया जाना -- (i) आयोग का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और उस पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा जिसने आदेश को सुनाया है।

27. आदेशों की प्रतियों को पक्षकारों को दिया जाना -- आदेशों की प्रमाणित प्रतियां आयोग को आवेदन के पक्षकारों को दी जाएंगी।

28. आदेश की प्रमाणित प्रतियों को उस सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा जिसके आदेश से अपील की गई थी - आदेश की एक प्रति सचिव द्वारा, या ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे अध्यक्ष इस निमित्त नियुक्त करे, आदेश की एक प्रमाणित प्रति उस सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाएगी जिसकी अपील पर आदेश किया गया है।

29. अभिलेखों का निरीक्षण और आदेशों की प्रमाणित प्रतियां - कोई व्यक्ति जो किसी अपील में एक पक्षकार है या ऐसे पक्षकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्लीडर ऐसे अपील के अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए सचिव को आवेदन कर सकेगा और सचिव, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या प्लीडर द्वारा अभिलेख का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत कोई प्लीडर आयोग के किसी आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए सचिव को आवेदन कर सकेगा और सचिव यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या प्लीडर को ऐसे आदेश की एक प्रमाणित प्रति देने का आदेश होगा।

(3) आयोग के आदेश की एक प्रमाणित प्रति आयोग के कार्यालय में तैयार की जाएगी और सचिव या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित की जाएगी।

30. कतिपय मामलों में आदेश और निदेश - आयोग, ऐसे आदेश कर सकेगा या ऐसे निदेश दे सकेगा जो उसके आदेशों को प्रभावी करने या उसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग का निर्वहन करने या न्याय दिलाने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो।

31. आयोग के कार्यकरण घंटे - (1) शनिवारों, रविवारों और अन्य सार्वजनिक अवकाशों के सिवाय, आयोग का कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी अन्य आदेश के अधधीन, 9.30 बजे प्रातः से 6.00 बजे सायं तक प्रतिदिन खुला रहेगा किंतु कोई कार्य, जब तक आवश्यक प्रकृति का न हो, किसी कार्यकरण दिवस को 4.30 बजे सायं के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

32. आयोग की बैठक के घंटे - आयोग की बैठक के घंटे साधारणतः 10.30 बजे प्रातः से 1.30 बजे सायं तक और 2.30 बजे सायं से 5.00 बजे सायं तक आयोग के अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी साधारण या विशेष आदेश के अधधीन होंगे।

33. अवकाश दिन - जहां किसी शासकीय कार्य को करने का अंतिम दिन उस दिन आता है, जिसको आयोग का कार्यालय बंद रहता है और उसके कारण ऐसा कोई कार्य उस दिन नहीं किया जा सकता है, वहां उसे अगले कार्यकरण दिवस को किया जा सकेगा।

34. सचिव की शक्तियां और कृत्य - (1) सचिव के पास आयोग के अभिलेखों की अभिरक्षा होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो अध्यक्ष द्वारा उसे दी जाएं

(2) आयोग की कार्यालय मुद्रा सचिव की अभिरक्षा में रखी जाएगी।

(3) अध्यक्ष के साधारण और विशेष निदेश के अधधीन रहते हुए, आयोग की मुद्रा, सचिव के लिखित प्राधिकार के सिवाय किसी आदेश, सूचना या अन्य आदेशिका पर नहीं लगाई जाएगी।

35. मुद्रा और संप्रतीक - आयोग की कार्यालय मुद्रा और संप्रतीक वह होंगे, जो प्ररूप सं० 5 में है।

[सं. एफ. 7-12/2006-एम सी (पी)]

सुनिल कुमार, संयुक्त सचिव

प्ररूप सं० 1

(नियम 4 देखिए)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग अधिनियम 2004 की धारा 12क(1) और 12ख (1) के अधीन अपील का ज्ञापन

आयोग के कार्यालय के उपयोग के लिए

फाइल करने की तारीख.....

डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख.....

रजिस्ट्रीकरण सं०.....

हस्ताक्षर

सचिव

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था के संदर्भ में

..... अपीलार्थी

.....प्रत्यर्थी

अपील के ब्यौरे:

1. (क)संस्था का नाम और पता
(ख) न्यास/सोसायटी के अध्यक्ष/सचिव का नाम और पता
2. क्या अपीलार्थी संस्था का दावा धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक पर आधारित है ?
3. क्या अपीलार्थी संस्था निम्नलिखित द्वारा स्थापित या प्रशासित है :-
(क)धार्मिक अल्पसंख्यक या
(ख)भाषाई अल्पसंख्यक
4. प्रत्यर्थी की विशिष्टियां जिसके अंतर्गत सूचना की सेवा के लिए पता भी है
5. अपील के अधीन आदेश की विशिष्टियां :-
(i) आदेश सं०

३०८३०६/०६-३

(ii) आदेश की तारीख

(iii) प्राधिकारी का नाम जिसके आदेश को अपील में चुनौती दी गई है

6. परिसीमा - अपीलार्थी आगे घोषणा करता है कि अपील अधिनियम के अधीन विहित सीमा के भीतर है।
7. मामले और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के तथ्य, - मामले के तथ्य निम्नलिखित हैं :
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील के तथ्य और आधारों का संक्षिप्त विवरण यहां दें)
8. विषय का किसी अन्य आयोग आदि में लंबित न होना - अपीलार्थी यह और घोषणा करता है कि वह विषय जिसकी बाबत यह अपील की गई है, किसी विधि के आयोग या किसी अन्य प्राधिकारी या किसी अन्य अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है।
9. ईप्सित अनुतोष -- ऊपर पैरा 8 में लिखित तथ्यों की दृष्टि से अपीलार्थी निम्नलिखित अनुतोषों के लिए प्रार्थना करता है ; (अपीलार्थी द्वारा ईप्सित अनुतोषों को नीचे विनिर्दिष्ट करें।)
10. अनुक्रमणिका के ब्यौरे - दो प्रतियों में अनुक्रमणिका में जिसमें आधार बनाए जाने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे हों।
11. अनुलग्नकों की सूची --

सत्यापन

मैं(स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) जोका सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी हूँ, यह सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि पैरा 1 से पैरा 11 की अंतर्वस्तु मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और मैंने किन्हीं सारवान तथ्यों को छुपाया नहीं है।

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

स्थान.....

तारीख.....

प्ररूप सं० 2

(नियम 13 (1) देखिए)

(अभिनाम)

अपील को ग्रहण करने की सक्षम प्राधिकारी को सूचना

प्रेषित

.....

.....

आपको, इसकी सूचना लेने के लिए निदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा तारीख..... को पारित आदेश से इस आयोग में अपीलार्थी (अपीलार्थी का नाम) ने एक अपील की है।

आपसे, तारीख.....को या उससे पूर्व कार्यवाही के सभी सारवान कागज पत्रों को सभी साध्य प्रेषणों के साथ भेजने का अनुरोध किया जाता है।

तारीख.....

सचिव

प्ररूप सं० 3

(नियम 13 देखिए)

अपील की सुनवाई के लिए नियत दिन की प्रत्यर्थी को सूचना

(अभिनाम)

.....(सक्षम प्राधिकारी का नाम) द्वारा पारित तारीख..... के आदेश से अपील

प्रेषित

.....प्रत्यर्थी

यह सूचना प्राप्त करें कि.....(सक्षम प्राधिकारी का नाम) के आदेश से इस मामले में एक अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है और आयोग में रजिस्ट्रीकृत की गई है तथा इस अपील की सुनवाई के लिए इस आयोग द्वारा तारीख.....नियत की गई है।

यदि आपकी ओर से आपके द्वारा, आपका प्लीडर या इस अपील में आपके लिए कार्यवाही करने के लिए विधिक रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो इसकी आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी और विनिश्चय किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और आयोग की मुद्रा के अधीन तारीख..... दिया गया।

सचिव

प्ररूप सं० 4
(नियम 17 देखिए)

अपील में किसी पक्षकार को कार्यवाही में पक्षकार न बनाए जाने की सूचना,
किंतु आयोग द्वारा किसी प्रत्यर्थी के रूप में सम्मिलित होना

(अभिनाम)

प्रेषित

.....
.....

ऊपर नामित अपीलार्थी ने.....(सक्षम प्राधिकारी का नाम) के समक्ष कार्यवाहियों में उसके विरुद्ध पारित आदेश से इस आयोग में एक अपील की है और आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि आप उक्त अपील के परिणाम में हितबद्ध हैं।

आपको यह सूचना दी जाती है कि आयोग ने आपको उक्त अपील में एक प्रत्यर्थी बनाने के लिए निदेशित किया है तथा सुनवाई को तारीख..... 10.30 बजे प्रातः को आस्थगित कर दिया है। यदि उक्त दिन को उक्त समय पर कोई उपस्थित नहीं होता है तो अपील की आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी और उसका विनिश्चय किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और आयोग की मुद्रा के अधीन तारीख.....को दिया गया।

सचिव

प्ररूप सं० 5
(नियम 35 देखिए)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग

आयोग की सील का नमूना



MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**(Department of Secondary Education)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th September, 2006

National Commission for Minority Educational Institutions (Procedure for Appeal) Rules, 2006

G.S.R. 553(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with clause (aa) of Sub-section (2) of Section 24 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (2 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the National Commission for Minority Educational Institutions (Procedure for Appeal) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (18 of 2006);

(b) "appeal" means an appeal made to the Commission under sub-section(1) of section 12 A or under sub-section(1) of section 12B of the Act;

(c) "Appellant" means a person making an appeal to the Commission under Sub-section (1) of Section 12A or under Sub-section (1) of Section 12B of the Act.

(d) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission nominated by the Central Government under sub-section(2) of section 3 of the Act;

(e) "competent authority" means an authority appointed by the appropriate Government to grant No Objection Certificate for the establishment of any educational institution of their choice by the minorities or to grant minority status certificate to any minority educational institution;

(f) "Form" means a form appended to these rules.

(g) "Pleader" has the same meaning assigned to it in clause (xv) of section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908(5 of 1908);

(h) "Secretary" means the Secretary of the Commission.

(i) the words and expressions used herein but not defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act;

3. Language of the Commission.— (1) The proceedings of the Commission shall be conducted in English or Hindi.

2283 GI/OC-4

(2) No appeal, reference, application, representation, document or other matters shall be accepted by the Commission unless the same is accompanied by a true copy of translation thereof in English or Hindi.

4. Procedure for filing appeals.— (1) A memorandum of appeal shall be presented in the Form annexed to these rules by the appellant either in person, or by a pleader authorized by him for such purpose to the Secretary or shall be sent by registered post addressed to the Secretary.

(2) An appeal sent by post under sub-rule (1) shall be deemed to have been presented to the Secretary on the day on which it is received in the office of the Secretary.

(3) The memorandum of appeal under sub-rule (1) shall be presented in four complete sets in a paper book Form along with an empty file size envelope bearing full address of the respondent and where the number of respondents is more than one, as many extracopies of the appeal in a paper book Form as there are respondents together with unused file size envelopes bearing full address of each respondent to be furnished by the appellant.

5. Presentation and scrutiny of the memorandum of appeal.— (1) The Secretary shall endorse on every memorandum of appeal the date on which it is presented under rule 4 or deemed to have been presented under that rule and shall sign the endorsement.

(2) If, on scrutiny, the memorandum of appeal is found to be in order, it shall be duly registered in a book of appeal and such book shall be called the register of appeal.

(3) If the memorandum of appeal on scrutiny is found to be defective, and the defect noticed is formal in nature, the Secretary may allow the appellant such time to rectify the defect as he may deem fit.

(4) If the appellant fails to rectify the defect within the time allowed under sub-rule (4), the Secretary may, by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register such memorandum of appeal and inform the appellant accordingly.

(5) An appeal against the order of the Secretary under sub-rule (5) shall be made, within fifteen days from the date of making of such order, to the Chairperson, whose decision shall be final.

6. Contents of the memorandum of appeal.— Every memorandum of appeal filed under rule 4 shall set forth, concisely and under distinct heads, the grounds of such appeal, without any argument or narrative, and such grounds shall be numbered, consecutively. Every appeal shall be typed in double space on one side on these paper of good Quality

7. Documents to accompany memorandum of appeal.— (1) Every memorandum of appeal shall be in quadruplicate and shall be accompanied by four copies of the order, under appeal, attested by a notary or the pleader.

8. Rejection or amendment of Memorandum of appeal.— (1) Where the memorandum of appeal is not submitted in the manner prescribed above, it may be rejected, or be returned to the appellant for the purposes of being amended within a time to be fixed by the Commission or be amended then and there.

(2) Where the Commission rejects any memorandum it shall record the reasons for such rejection.

(3) Where a memorandum of appeal is amended, the Chairperson, or such officer, as he appoints in this behalf, shall sign or initial the amendment.

9. Application for condonation of delay.— (1) Where an appeal is filed after the expiry of the period of limitation specified therefor, it shall be accompanied by an application supported by an affidavit setting forth the facts on which the appellant relies to satisfy the Commission that he had sufficient cause for not filing the appeal within such period.

(2) If the Commission sees no reason to reject the application, a notice thereof shall be issued to the respondent and the matter shall be finally decided by the Commission before it proceeds to deal with the appeal under rule 10.

10. Power to dismiss appeal without sending notice to the authority under whose order the appeal is preferred.- (1) The Commission after fixing a day for hearing the appellant or his pleader and hearing him accordingly if he appears on that day may dismiss the appeal.

(2) If on the day fixed or any other day to which hearing may be adjourned, the appellant does not appear when the appeal is called on for hearing, the Commission may make an order that the appeal be dismissed.

(3) Where the Commission dismisses an appeal under sub-rule (1), it shall deliver an order recording in brief the grounds for doing so.

11. Time within which hearing under rule 10 should be concluded.- Every appeal shall be heard under rule 10 as expeditiously as possible and endeavour shall be made to conclude such hearing within sixty days from the date on which the memorandum of appeal is filed.

12. Day for hearing of appeal.- (1) Unless the Commission dismisses the appeal under rule 10, it shall fix a date for hearing the appeal.

(2) Such day shall be fixed with reference to the current business of the Commission.

13. Publication and service of notice of day for hearing appeal.- (1) Notice of the day fixed under rule 12 shall be affixed in the office of the Commission, and a like notice shall be sent by the Commission to the competent authority from whose order the appeal is preferred, and shall be served on the respondent or on his pleader, and all the provisions applicable to such summons, and to proceedings with reference to the service thereof prescribed by the Code of Civil Procedure, shall apply to the service of such notice.

(2) Instead of sending the notice to the competent authority from whose order the appeal is preferred, the Commission may itself cause the notice to be served on the respondent or on his pleader under the provisions above referred to.

(3) The notice to be served on the respondent shall be accompanied by a copy of the memorandum of appeal.

(4) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-rule (1), it shall not be necessary to serve notice of any proceeding incidental to an appeal on any respondent other than a person impleaded for the first time in the Commission, unless he has appeared and filed an address for the service in the office of the competent authority, or has appeared in the appeal.

(5) Nothing in sub-rule (4) shall bar the respondent referred to in the appeal from defending it.

14. Right to begin.— (1) On the day fixed, or on any other day to which the hearing may be adjourned, the appellant shall be heard in support of the appeal.

(2) The Commission shall then, if it does not dismiss the appeal at once, hear the respondent against the appeal, and in such case the appellant shall be entitled to reply.

15. Dismissal of appeal for appellant's default.— (1) Where on the day fixed, or on any other day to which the hearing may be adjourned, the appellant does not appear when the appeal is called on for hearing the Commission may make an order that the appeal be dismissed.

Explanation.— Nothing in this sub-rule shall be construed as empowering the Commission to dismiss the appeal on the merits.

(2) **Hearing of appeals ex parte.**— Where, on the day fixed for hearing or any other date to which the hearing may be adjourned, the appellant appears and the respondent does not appear, the appeal shall be heard *ex parte*.

16. Re-admission of an appeal dismissed for default.— Where an appeal is dismissed under rule 15, the appellant may apply to the Commission for the re-admission of the appealed and, where it is proved that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the appeal was called on for hearing, the Commission shall re-admit the appeal on such terms as to costs or otherwise as it thinks fit.

2803 GI/06-5

17. Power to adjourn hearing and direct persons appearing interested to be made respondents.— (1) Where it appears to the Commission at the hearing that any person who was a party to the proceedings before the competent authority from whose order the appeal is preferred, but who has not been made a party to the appeal, is interested in the result of the appeal, the Commission may adjourn the hearing to a future day to be fixed by the Commission and direct that such person be made a respondent.

(2) No respondent shall be added under this rule, after the expiry of the period of limitation for appeal, unless the Commission, for reasons to be recorded, allows that to be done, on such terms as to costs as it thinks fit.

18. Re-hearing of appeal on the application of respondent.— Where the appeal is heard *ex parte* and order is pronounced against the respondent, he may apply to the Commission to re-hear the appeal; and, if he satisfies the Commission that the notice was not duly served, or that he was prevented by sufficient cause from appearing when the appeal was called on for hearing, the Commission shall re-hear the appeal on such terms as to costs or otherwise as it thinks fit to impose upon him.

19. Upon hearing respondent may object to order as if he had preferred a separate appeal .— (1) Any respondent, though he may not have appealed from any part of the order, may not only support the order but may also state that the finding against him by the competent authority in respect of any issue ought to have been in his favour; and may also take any cross-objection to the order which he could have taken by way of appeal provided he has filed such objection in the Commission within one month from the date of service on him or his pleader of notice of the day fixed for hearing the appeal, or within such further time as the Commission may see fit to allow.

Explanation.— A respondent aggrieved by a finding of the competent authority in the order on which the order appealed against is based may, under this rule, file cross-objection in respect of the order in so far as it is based on that finding.

(2) Such cross-objection shall be in the form of a memorandum, and the provisions of rule 6, so far as they relate to the form and contents of the memorandum of appeal, shall apply thereto.

(3) Where, in any case, in which any respondent has under this rule filed a memorandum of objection, the original appeal is withdrawn or is dismissed for default, the objection so filed may nevertheless be heard and determined after such notice to the other parties as the Commission thinks fit.

20. Where evidence on record is sufficient, Commission may determine case finally.- Where the evidence upon the record is sufficient to decide the appeal, the Commission may finally decide the appeal.

21. Production of additional evidence in appeal – (1) The parties to the appeal shall not be entitled to produce additional evidence, either oral or documentary, in the Commission. But if -

- (a) the competent authority from whose order the appeal is preferred has refused to admit evidence which ought to have been admitted, or
- (b) the party seeking to produce additional evidence, establishes that notwithstanding the exercise of due diligence, such evidence was not within his knowledge or could not, after the exercise of due diligence, be produced by him at the time when the order appealed against was passed, or
- (c) the Commission requires any document to be produced or any witness to be examined to enable it to pronounce order, or for any other substantial cause,

the Commission may allow such evidence or document to be produced, or witness to be examined.

(2) Wherever additional evidence is allowed to be produced by the Commission, the Commission shall record the reason for its admission.

22. **Mode of taking additional evidence.**- Such document may be produced or such witness examined or such evidence adduced before the Commission.
23. **Order when and where pronounced.** - The Commission, after hearing the parties or their pleaders and referring to any part of the proceedings, whether on appeal or in the competent authority from whose order the appeal is preferred, to which reference may be considered necessary, shall pronounce order, either at once or on some future day of which notice shall be given to the parties or their pleaders.
24. **Dissent to be recorded.** - Any member of the Commission dissenting from the order of the Commission shall state in writing the decision or order which he thinks should be passed on the appeal, and he may state his reasons for the same.
25. **Adjournment of hearing.**- The Commission may if sufficient cause is shown at any stage of proceedings grant time to the parties or any of them, and adjourn the hearing of the appeal
26. **Order to be signed and dated.**- (i) Every order of the Commission shall be in writing and shall be signed by the Presiding Officer who pronounced the order.
27. **Copies of orders to be furnished to parties.** - Certified copies of the orders shall be furnished to the parties on the application to the Commission.
28. **Certified copy of orders to be sent to the competent authority whose order was appealed from.**- A copy of the order, certified by the Secretary, or such officer as the Chairperson appoints in this behalf, shall be sent to the competent authority which passed the order appealed from.
29. **Inspection of records and certified copies of orders.**- (1) Any person who is a party in an appeal or a pleader authorized by such person may make an application for inspecting the records of such appeal to the Secretary and the Secretary may allow the inspection of the record by such person or the pleader, as the case may be .
- (2) Any person or a pleader authorized by such person may make an application to the Secretary for obtaining a certified copy of any order of the

Commission and the Secretary shall order furnishing of a certified copy of such order to such person or the pleader, as the case may be.

(3) Every certified copy of the order of the Commission shall be prepared in the office of the Commission and shall be authenticated by the Secretary or any officer authorized by him in this behalf.

30. Orders and directions in certain cases.- The Commission may make such orders or give such directions as may be necessary or expedient to give effect to its orders or prevent abuse of its process or to secure the ends of justice.

31. Working hours of the Commission.- (1) Except on Saturdays, Sundays and other public holidays, the office of the Commission shall, subject to any other order, made by the Chairperson, remain open daily from 9:30 A.M. to 6:00 P.M. but no work, unless of an urgent nature, shall be entertained after 4:30 P.M. on any working day.

32. Sitting hours of the Commission.- The sitting hours of the Commission shall ordinarily be from 10:30 A.M. to 1:30 P.M. and 2:30 P.M. to 5:00 P.M. subject to any general or special order made by the Chairperson of the Commission.

33. Holidays.- Where the last day for doing any official act falls on a day on which the office of the Commission is closed, and by reason thereof, such an act cannot be done on that day, it may be done on the next opening day.

34. Powers and functions of the Secretary.- (1) The Secretary shall have the custody of the records of the Commission and shall exercise such other powers as may be assigned to him by the Chairperson.

(2) The official seal of the Commission shall be kept in the custody of the Secretary.

(3) Subject to any general or special direction by the Chairperson, the seal of the Commission shall not be affixed on any order, notice or other process, save under the authority in writing of the Secretary.

35. Seal and emblem.- The official seal and emblem of the Commission shall be as in form no. 5.

[No. F. 7-12/2006-MC(P)]
SUNIL KUMAR, Jt. Secy.

283391/06-6

FORM NO.1

[See rule 4]

**MEMORANDUM OF APPEAL UNDER SECTION 12A (1) AND 12B (1) OF THE
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT, 2004**

For use of Commission's office

Date of filing

Date of receipt by post

Registration No.

Signature

Secretary

IN THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

..... Appellant

..... Respondent (s)

Details of appeal:

1. (a) Name and address of the Institution
- (b) Name and address of the President/Secretary of the Trust/Society
2. Whether the appellant institution's claim is based on religious or linguistic minority?
3. Whether the appellant institution has been established or administered by :-
 - (a) Religious minority, or
 - (b) Linguistic minority
4. Particulars of the respondent(s) including address for service of notice
5. Particulars of the order under appeal :-
 - (i) Order Number
 - (ii) Date of the order
 - (iii) Name of the authority, whose order has been challenged in the appeal.

6. *Limitation.*— The appellant further declares that the appeal is within the limitation prescribed under the Act.

7. *Facts of the case and orders passed by the competent authority.*— The facts of the case are given below:

(Give herein a concise statement of facts and grounds of appeal against the order passed by the competent authority.)

8. *Matter not pending with any other Commission, etc.*— The appellant further declares that the matter regarding which this appeal has been made is not pending before any Commission of law or any other authority or any other Tribunal.

9. *Relief sought.*— In view of the facts mentioned in paragraph eight above, the appellant prays for the following reliefs; (specify below the reliefs sought by the appellant).

11. *Details of index.*— An index in duplicate containing the details of the documents to be relied upon is enclosed.

12. List of enclosures:

VERIFICATION

I, (name in full in block letters) son/ daughter/ wife of Shri do hereby verify that the contents of paras 1 to 12 are true to my personal knowledge and belief and that I have not suppressed any material facts.

Signature of the Appellant

Place

Date

2283 GI/06-7

Form No. 2

[See rule 13 (1)]

INTIMATION TO COMPETENT AUTHORITY OF ADMISSION OF APPEAL

(Title)

To

.....

You are hereby directed to take notice that the appellant (*Name of the appellant*) has preferred an appeal to this Commission from the order passed by you therein on the day of20.....

You are requested to send with all practicable dispatch all material papers in the proceeding on or before the day of 20.....

Dated the Day of 20.....

Secretary

Form No. 3

[See rule 13]

NOTICE TO RESPONDENT OF THE DAY FIXED FOR THE
HEARING OF THE APPEAL

(Title)

Appeal from the order dated the day of 20..... passed by
 (*name of the competent authority*)

To

..... Respondent.

Take notice that an appeal from the order of (*Name of the competent authority*) in this case has been presented by the appellant and registered in this Commission, and that the day of20....., has been fixed by this Commission for the hearing of this appeal.

If no appearance is made on your behalf by yourself, your pleader, or by some one by law authorized to act for you in this appeal, it will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Commission, this day of
20.....

Secretary

Form No. 4

[See rule 17]

**NOTICE TO A PARTY TO A PROCEEDING NOT MADE A PARTY TO THE APPEAL
BUT JOINED BY THE COMMISSION AS A RESPONDENT**

(Title)

To

.....
.....

Whereas the appellant, named above, has preferred an appeal to this Commission from the order passed against him in the proceedings before.....
(Name of the competent authority) and it appears to this Commission that you are interested in the result of the said appeal.

This is to give you notice that this Commission has directed you to be made a respondent in the said appeal and has adjourned the hearing thereof till the
day of20....., at 10.30 A.M. If no appearance is made on you behalf on the said day and at the said hour, the appeal will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Commission, this day of
20.....

Secretary

Form No. 5

[See rule 35]

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

SPECIMEN SEAL OF THE COMMISSION

